राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

एफ.2(38)नविवि/सामान्य/3/2014 जयपुर, दिनांकः— 20 AUG 2015

## अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम संख्या 35) की धारा 43 और 60 के साथ पठित धारा 74 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि का निर्वर्तन) नियम, 1974 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है और उक्त अधिनियम की धारा 74 की उप–धारा (2) के परन्तुक के प्रति निर्देश से आदेश करती है कि इन नियमों के पूर्व प्रकाशन को अभिमुक्त किया जाता है क्योंकि राज्य सरकार का लोकहित में यह विचार है कि इन्हे तुरन्त प्रवृत्त किया जाना चाहिए, अर्थात–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि का निर्वर्तन) (संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होगें।

2. **नियम 14क का सशोधन.**–– राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि का निर्वर्तन) नियम, 1974 के नियम 14क के विधमान उप–नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :–

"(1) यदि किसी व्यक्ति ने, जो आवासीय या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए लोक नीलामी के माध्यम से भूमि क्रय करता है, उस तारीख से जिसको भूमि का कब्जा सौंप दिया जाता है,

(i) 1000 वर्गमीटर तक के आकार के भू–खण्ड की दशा में 3 वर्ष; या

(ii) 1000 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 5000 वर्ग मीटर तक के आकार के भू–खण्ड की दशा में 5 वर्ष; या

(iii) 5000 वर्गमीटर से अधिक के आकार के भू–खण्ड दशा में 7 वर्ष; या

के भीतर भवन का सन्निर्माण नही किया है तो वह तीन वर्ष तक संबंधित न्यास को वर्तमान विद्यमन आरक्षित कीमत के एक प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से उद्ग्रहण का संदाय करेगा और यदि भवन का अब तक भी सन्निर्माण नही किया गया है तो भूमि का पट्टा रद्द हो जायेगा।"

राज्यपाल की आज्ञा से,

20/8/15

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव